पत्रांक –10 / न 4–30 / 2006 मा0शि0
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार पटना

प्रेषक

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह
निदेशक माध्यमिक शिक्षा

सेवा मे

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली [illegible]

पटना दिनाक

विषयः– स्कालर्स अबोड, मंहगूपुर, जानीपुर, फुलवारीशरीफ पटना को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनाक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत है :–

1. विद्यालय का संचालन निबंधित न्यास "सकालर्स अबोड ट्रस्ट" पटना के द्वारा किया जाता है । न्यास के शासी निकाय के सदस्यो की सूची दी गयी है और यह सूचना भी दी गयी है कि ट्रस्ट में किसी एक ही परिवार के सदस्यों का प्रभुत्व नही है । सदस्यो का पता देखने से स्पष्ट है कि ये विभिन्न शहरों में निवास करते है । पाँच सदस्यों में से 3 का पेशा शिक्षण कार्य, एक मेडिकल ऑफिसर तथा एक व्यवसायी है । (सूची संलग्न)

2. विद्यालय में किसी निबंधित सोसाईटी / न्यास के फेन्चाईजी के रूप में अथवा किसी विद्यालय के brand name का उपयोग नही करने का भी दावा किया है [illegible] नाम के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 3007 / 2005 अशोक कुमार बनाम यूनियन आफ इन्डिया एवं अन्य में दिनाक 09.03.05 को पारित न्यायदेश (न्यायदेश को प्रतिलिपि संलग्न) के आलोक में केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा कि नाम से आम जनता दिग्भ्रमित नही हो। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा स्कूल को नाम बदलने की सलाह दी जानी चाहिए।

3. विद्यालय के द्वारा 2 एकड़ भूमि महगूपुर, जानीपुर फुलवारीशरीफ में 30 वर्षो के लीज पर ली गई है। जिसपर विद्यालय के द्वारा भवन निर्मित करा लिया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधा की जॉच बोर्ड को अपने निरीक्षण दल से करा लेनी होगी ।

4. विद्यालय में 16 शिक्षक है, जिनमें 13 प्रशिक्षित है । हालांकि आवेदन में शिक्षको की नियुक्ति एन0सी0टी0ई0 के मापदण्डों के अनुरूप बतायी गयी है. । नियुक्ति के सन्दर्भ में समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति संलग्न की गयी है । लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नही दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में निर्धारित प्रकिया का अनुपालन किया गया हो । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि नियुक्ति [illegible] प्रकिया के अन्तर्गत वस्तुनिष्ट तरीके से एन0सी0टी0ई0 के मापदण्डों के अनुरूप की गयी है

5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण [illegible] प्रतिवेदन सार्वजनिक किये जाने का दावा किया गया है । कतिपय पूर्व के वर्षो के अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न किये गये है परन्तु इनसे विभिन्न शुल्को के दर की जानकारी प्राप्त नही होती है । विद्यालय को लेखा से संबंधित

PRINCIPAL
SCHOLARS ABODE

MANAGER
SCHOLARS ABODE

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ-साथ राज्य सरकार को भी ... कार्रवाई सम्बन्धी ... सुनिश्चित कर सकेगी ।

विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि ... दिनांक 03.04.2006 मे उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रूपये प्रतिवर्ष होगी ।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मानदण्ड के आधार पर संचालित हैं ।

9. ... बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा उनके मानदंडों के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा ।

10. शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्तों के आधार पर स्कालर्स अबोड महगुपुर, फुलवारीशरीफ पटना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है ।

12. विद्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र दिनांक 18.06.2006 की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –यथोक्त

ह0/-
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक ...609 पटना, दिनांक- 25.7.06

प्रतिलिपि – प्राचार्य, स्कालर्स अबोड, महगुपुर, फुलवारीशरीफ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

MANAGER
SCHOLARS ABODE
PATNA

PRINCIPAL
SCHOLAR'S ABODE
PATNA